

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक अगस्त, 2013

पत्र संख्या-1/एल01-10-17/2013 गृ0आ0 /श्री पंकज कुमार राज, भा0पु0से0 (2006), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-10, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 24.07.2013 से 10.08.2013 तक कुल-18 (अठारह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री राज के अवकाश अवधि में समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-14, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-10, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-17/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक अगस्त, 2013
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (वेबसाइट : www.home.bih.nic.in)।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-17/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक अगस्त, 2013
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-17/2013 गृ0आ0 5883 /पटना, दिनांक 2 अगस्त, 2013
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 254/एक्स0पी0, दिनांक 10.07.2013/ श्री पंकज कुमार राज, भा0पु0से0 (2006), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-10, पटना/समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-14, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को (वेबसाइट : www.home.bih.nic.in) पर दर्शाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।